न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/53/2021

जसवंतसिंह पुत्र यादराम सिंह ग्राम मंशापुरा पोस्ट घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी भुसावर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 03.08.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है जसवंतसिंह पुत्र यादराम सिंह ग्राम मंशापुरा पोस्ट घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2020 उपखण्ड अधिकारी भुसावर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी भुसावर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/447–448 दिनांक 13.7.2021 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी भुसावर से ही सवंधित है तथा उपखण्ड अधिकारी भुसावर से इस सबंध में उनके पत्रांक 2349 दिनांक 29.7.2021 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भुसावर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भुसावर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 2349 दिनांक 29.07.2021 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी भुसावर ने अपने जबाब से अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना अवगत कराया है। अपने जबाब के साथ में उपखण्ड अधिकारी भुसावर ने अपीलार्थी को दी गई सूचना के सबंध में पत्र कमांक 2348 दिनांक 29.07.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। जाहिर है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भुसावर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर